रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940
No. 343] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 24 मई, 2018

सा.का.नि. 485(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खण्ड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2004 (जिसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:

"4. वेतन: (1) अध्यक्ष प्रतिमास चार लाख पचास हजार रुपये का वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा और पूर्ण-कालिक सदस्य प्रतिमास चार लाख रुपये का वेतन प्राप्त करेगा, जो सरकारी आवास तथा स्टाफ कार की सुविधा के बिना होगा:

परंतु जहाँ अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है वहाँ वह, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को यथा अनुज्ञेय वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) उप-नियम (1) के अनुसार अध्यक्ष और पूर्ण-कालिक सदस्य का वेतन समय-समय पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों में नियम 9 में, -

(क) उप-नियम (1) में शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक "80,000 रु.(नियत) के वेतनमान में वेतन" के स्थान पर शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स में वेतन का स्तर 17 (225000 रु.)" रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) के परंतुक में शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक "80,000 रु.(नियत) के वेतनमान में वेतन" के स्थान पर शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स में वेतन का स्तर 17 (225000 रु.)" रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 10 में शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक "80,000 रु.(नियत) के वेतनमान में वेतन" के स्थान पर शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स में वेतन का स्तर 17 (225000 रु.)" रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 14 में शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक "80,000 रु.(नियत) के वेतनमान में वेतन" के स्थान पर शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स में वेतन का स्तर 17 (225000 रु.)" रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 15 में शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक "80,000 रु.(नियत) के वेतनमान में वेतन" के स्थान पर शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स में वेतन का स्तर 17 (225000 रु.)" रखे जाएंगे।

[फा.सं.25/2/2018-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि.177(अ) तारीख 08 मार्च, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण तारीख 19 मार्च, 2010 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.196(अ) तारीख 19 मार्च, 2010 द्वारा तत्पश्चात् रूप से संशोधित किए गए।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2018

G.S.R. 485(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2004, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

"4. Pay . – (1) The Chairperson shall be entitled to receive a pay of four lakh fifty thousand rupees per mensem and the whole-time Members shall receive a pay of four lakh rupees per mensem, without facility of Government accommodation and staff car:

Provided that where the Chairperson has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court, he shall be entitled to receive pay as admissible to a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court, as the case may be.

(2)The pay of Chairperson and whole-time Members as per sub-rule (1) shall stand revised in accordance with the orders issued by the Ministry of Finance (Department of Expenditure) from time to time.";

3. In rule 9 of the said rules, -

(a) in sub-rule(1), for the words, letters, figures and brackets "pay in the pay scale of Rs.80,000 (fixed)", the words, figures, brackets and letters, "pay in level-17 in the pay matrix (Rs.225000)" shall be substituted;

(b) in the proviso under sub-rule (2), for the words, letters, figures and brackets "pay in the pay scale of Rs.80,000 (fixed)", the words, figures, brackets and letters, "pay in level-17 in the pay matrix (Rs.225000)" shall be substituted.

4. In rule 10 of the said rules, for the words, letters, figures and brackets "pay in the pay scale of Rs.80,000 (fixed)", the words, figures, brackets and letters, "pay in level-17 in the pay matrix (Rs.225000)" shall be substituted.

5. In rule 14 of the said rules, for the words, letters, figures and brackets "pay in the pay scale of Rs.80,000 (fixed)", the words, figures, brackets and letters, "pay in level-17 in the pay matrix (Rs.225000)" shall be substituted.

6. In rule 15 of the said rules, for the words, letters, figures and brackets "pay in the pay scale of Rs.80,000 (fixed)", the words, figures, brackets and letters, "pay in level-17 in the pay matrix (Rs.225000)" shall be substituted.

[F. No. 25/2/2018-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Cheif Engineer

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 177(E) dated the 8th March, 2004 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 196(E), dated the 19th March, 2010 in the Gazette of India Extraordinary dated the 19th March, 2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.28 14:56:19 +05'30'